

**न्यायालय – सिराज अली, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला –बालाघाट, (म.प्र.)**

आप.प्रक.क्रमांक-253 / 2011

संस्थित दिनांक-02.05.2011

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र-रूपझर

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

अभियोजन

// **विरुद्ध** //

दिवेश उर्फ भीम पिता रूपसिंह उइके, उम्र-22 वर्ष,

निवासी-वार्ड नं. 12 उकवा, पुलिस चौकी उकवा, थाना रूपझर,

जिला-बालाघाट (म.प्र.)

आरोपी

// **निर्णय** //

(आज दिनांक-13/11/2014 को घोषित)

1- आरोपी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 325, 506 (भाग-2) के तहत आरोप है कि दिनांक-20.03.2011 को समय 14:15 बजे स्थान उकवा वार्ड नं. 13 चौकी उकवा आरक्षी केन्द्र रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी पंकज को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालो को क्षोभ कारित कर, आहत सुशीलाबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा आहत पंकज को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया एवं फरियादी पंकज को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।

2- संक्षेप में अभियोजन पक्ष का सार इस प्रकार है कि दिनांक-20.03.2011 को समय 14:15 बजे स्थान उकवा वार्ड नं. 13 चौकी उकवा आरक्षी केन्द्र रूपझर जिला बालाघाट अंतर्गत आरोपी ने पैसे के लेनदेन को लेकर फरियादी पंकज को अश्लील शब्द उच्चारित कर लकड़ी से बांये पैर की पिंडली में मारपीट किया तथा घटना के समय फरियादी पंकज की मां सुशीलाबाई द्वारा बीच-बचाव करने पर उसे भी आरोपी द्वारा लकड़ी से मारपीट किया और जान से मारने की धमकी दिया। उक्त घटना की रिपोर्ट फरियादी पंकज द्वारा आरोपी के विरुद्ध चौकी उकवा में की गई, जिस पर पुलिस चौकी उकवा में आरोपी के विरुद्ध अपराध क्रमांक-0/2011, अंतर्गत धारा-294, 323, 506 भा.द.वि. का अपराध कायम करते हुये प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की गई। जिसकी असल कायमी थाना रूपझर में अपराध क्रमांक-33/2011, धारा-294, 323, 506 भाग-दो भा.द.वि. पंजीबद्ध कर दर्ज की गई। पुलिस द्वारा आहतगण का चिकित्सीय परीक्षण कराया गया, घटनास्थल का नजरी

नक्शा बनाया गया, घटना में प्रयुक्त लकड़ी जप्त किया गया, साक्षियों के कथन लिये गये एवं आरोपी को गिरफ्तार कर सम्पूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र न्यायालय में पेश किया गया।

3— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 325, 506 (भाग—दो) के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया है। आरोपी ने धारा—313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फँसाया जाना प्रकट किया है। आरोपी द्वारा प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की गई है।

4— प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित विचारणीय बिन्दु यह हैं कि:—

1. क्या आरोपी ने दिनांक—20.03.2011 को समय 14:15 बजे स्थान उकवा वार्ड नं. 13 चौकी उकवा आरक्षी केन्द्र रुपझर जिला बालाघाट अंतर्गत लोक स्थान के समीप फरियादी पंकज को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया?
2. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत सुशीलाबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित की ?
3. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर आहत पंकज को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की ?
4. क्या आरोपी ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर संत्रास कारित करने के आशय से फरियादी को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया?

विचारणीय बिन्दु का सकारण निष्कर्ष :-

5— आहत पंकज (अ.सा.1) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय आरोपी उसके घर के सामने आया और उससे उधारी के पैसे मांगने लगा तो उसने बाद में देने के लिये कहा, फिर आरोपी उसे मां की चूत और तेरी बहन चूत की अश्लील गालियां देने लगा, जो उसे सुनने में अच्छी नहीं लगी। फिर आरोपी ने उसे लकड़ी बांये पैर के घुटने के नीचे मारा। आरोपी जहां गाली दे रहा था वह स्थान आने—जाने के रास्ते से 10 कदम की दूरी पर है। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्श पी—1 उकवा चौकी में की थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने पुलिस को घटना स्थल बता दिया, पुलिस ने उसके सामने घटना स्थल का मौका नक्शा प्रदर्श पी—2 बनाया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिया था। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था तथा एक्सरे भी हुआ था। उसे घुटने के नीचे आरोपी के द्वारा मारपीट करने के कारण अस्थि भंग भी हुआ था।

6— उक्त साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी से पैसे मांगने पर से विवाद हुआ था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया है

कि वह शराब के नशे में छिना-झपटी के कारण गिर गया था, जिससे उसे चोट आयी थी। साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसकी साक्ष्य का खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने फरियादी के रूप में लिखायी गई उसकी रिपोर्ट एवं उसके पुलिस कथन के अनुरूप कथन किये हैं, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं लोप होना प्रकट नहीं होता है। सुशीलाबाई (अ.सा.2) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि घटना के समय वह घर के अंदर थी तभी उसे फरियादी पंकज और आरोपी के बीच झगडा होने की आवाज आयी तो उसने बाहर आकर देखा कि आरोपी देवेश लकडी से फरियादी पंकज को मार रहा है, जब वह झगडा छुडाने गई तो आरोपी ने उसे भी गाली दिया और जांघ में दो लकडी से मारा, उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बालाघाट में हुआ था। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसके घर के बाजू में झगडा हुआ था। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि घटना के समय दोनों के बीच पैसे की बात से झगडा हुआ था। साक्षी ने पंकज के शराब के नशे में गिर जाने से उसे चोट आने से इंकार किया है। इस प्रकार साक्षी के कथन का बचाव पक्ष की ओर से प्रतिपरीक्षण में महत्वपूर्ण खण्डन नहीं किया गया है। साक्षी ने अभियोजन मामले का फरियादी के कथन के अनुरूप समर्थन करते हुये आरोपी के द्वारा उसे मारपीट कर उपहति कारित करने का भी समर्थन किया है।

7— राजू सोनी (अ.सा.3) एवं नैनसिंह (अ.सा.4) ने अपनी साक्ष्य में घटना के बारे में कोई जानकारी न होना प्रकट किया है। उक्त साक्षीगण को पक्ष विरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षीगण ने अभियोजन मामले का किसी भी प्रकार से समर्थन नहीं किया है। राजू सोनी (अ.सा.3) ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत पंकज होली के समय शराब पीकर गिर गया था, जिस कारण उसका पैर टूट गया था। जबकि नैनसिंह (अ.सा.4) ने प्रतिपरीक्षण में यह जानकारी न होना प्रकट किया है कि आहत पंकज के शराब पीकर गिरने से उसका पैर टूट गया था। इस प्रकार साक्षीगण ने अभियोजन मामले का समर्थन नहीं किया है।

8— धनिराम (अ.सा.5) ने जप्ती पंचनामा प्रदर्श पी-5 पर उसके हस्ताक्षर होने के कथन अपने मुख्य परीक्षण में किये हैं किन्तु साक्षी को पक्ष विरोधी घोषित किये जाने पर उसने उसके साथ पुलिस द्वारा आरोपी से जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 के अनुसार लकडी जप्त किये जाने और आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पंचनामा प्रदर्श पी-6 तैयार करने से इंकार किया है। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार है कि घटना होली के समय की है और आहत पंकज अधिक शराब पीये हुये होने के कारण गिर गया, जिससे उसे पैर में चोट आने की जानकारी हुई थी। साक्षी का आगे यह भी कथन है कि उसे घटना के बारे में कोई जानकारी नहीं है।

9— चिकित्सीय साक्षी डाक्टर डी.के. राउत (अ.सा.6) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-11.04.2011 को जिला चिकित्सालय बालाघाट में रेडियोलॉजिस्ट के पद पर पदस्थ था। दिनांक-21.03.2011 को एक्सरे टेक्निशियन ए.के.सेन ने आहत पंकज के बांये पैर और घुटने के जोड का एक्सरे किया था। एक्सरे

प्लेट आर्टिकल ए-1 है। आहत को डाक्टर समद ने एक्सरे हेतु रिफर किया था। उक्त एक्सरे प्लेट का परीक्षण करने पर उसने आहत के बांये पैर की टिबिया हड्डी के ऊपर भाग में अस्थि भंग होना पाया था तथा हड्डी डिसलोकेशन पाया था। उसकी रिपोर्ट प्रदर्श पी-7 है, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उक्त फ्रेक्चर एवं डिसलोकेशन कडे स्थान पर गिरने से आ सकता है। इस प्रकार साक्षी ने आहत पंकज की घटना के समय उसके पैर की हड्डी में अस्थि भंग होने की पुष्टि की है।

10— अनुसंधानकर्ता अधिकारी फूलचंद तरवरे (अ.सा.7) ने अपने मुख्य परीक्षण में कथन किया है कि वह दिनांक-20.03.2011 को चौकी उकवा में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को पंकज की मौखिक रिपोर्ट पर उसके द्वारा आरोपी दिवेश उर्फ भीम के विरुद्ध प्रथम सूचना प्रतिवेदन क्रमांक-0/11, धारा-294, 323, 506 भाग-दो भा.द.वि. का प्रदर्श पी-1 लेख किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अपराध क्रमांक-33/2011 की विवेचना के दौरान दिनांक-21.03.2011 को सूचनाकर्ता एवं साक्षी की उपस्थिति में घटना स्थल का नजरी नक्शा प्रदर्श पी-2 तैयार किया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी पंकज, साक्षी सुशीलाबाई, बबू उर्फ राजू सोनी, नैनसिंह के कथन उनके बताये अनुसार लेख किया गया था। उसने दिनांक-20.03.2011 को आहत पंकज एवं सुशीलाबाई को मुलाहिजा हेतु शासकीय अस्पताल बालाघाट भेजा था। उसके द्वारा दिनांक-23.03.2011 को आरोपी दिवेश से साक्षियों के समक्ष एक सूखी लकड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्रदर्श पी-5 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा साक्षियों के समक्ष आरोपी दिवेश को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्रदर्श पी-6 तैयार किया गया था, जिस पर उसके हस्ताक्षर हैं। विवेचना के दौरान आहत पंकज को अस्थि भंग होने की रिपोर्ट प्राप्त होने उसके द्वारा आरोपी के विरुद्ध धारा-325 भा.द.वि. का ईजाफा किया गया था।

11— उक्त साक्षी के प्रतिपरीक्षण में उसके द्वारा की गई अनुसंधान कार्यवाही का खण्डन बचाव पक्ष की ओर से नहीं किया गया है। अनुसंधानकर्ता ने मामले में तैयार घटना स्थल का मौका नक्शा में घटना स्थल लोक स्थान के समीप वाला स्थान दर्शित किया है, जिसका खण्डन बचाव पक्ष ने उक्त साक्षी एवं अन्य महत्वपूर्ण साक्षी के प्रतिपरीक्षण में चुनौती पेश कर नहीं किया है। इस प्रकार घटना स्थल लोक स्थान के समीप वाला स्थान होना प्रकट होता है।

12— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क पेश किया गया है कि मामले में आहत पंकज (अ.सा.1) व उसकी मां सुशीलाबाई (अ.सा.2) के अलावा अन्य किसी अभियोजन साक्षी ने मामले का समर्थन अपनी साक्ष्य में नहीं किया है, इस कारण अभियोजन का मामला संदेह से परे प्रमाणित नहीं है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि साक्ष्य विवेचन में साक्षियों की संख्या से अधिक साक्ष्य की गुणवत्ता महत्वपूर्ण होती है और एकल साक्षी की साक्ष्य भी आरोपी की दोषसिद्ध के लिए पर्याप्त है, किन्तु ऐसी साक्ष्य

संदेह से परे स्थापित होना आवश्यक है। प्रकरण में आहतगण पंकज (अ.सा.1) एवं सुशीलाबाई (अ.सा. 2) ने प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी-1 एवं उनके पुलिस कथन के अनुरूप साक्ष्य पेश की है, जिसमें महत्वपूर्ण विरोधाभास एवं लोप होना प्रकट नहीं होता है। ऐसी दशा में उक्त साक्षी की साक्ष्य पर मात्र इस कारण अविश्वास नहीं किया जा सकता है कि अन्य अभियोजन साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है।

13— बचाव पक्ष की ओर से यह तर्क भी पेश किया गया है कि आहत पंकज के शराब पीकर गिर जाने से उसे चोट आने के संबंध में अभियोजन साक्षी राजू (अ.सा.3) एवं धनिराम (अ.सा.5) ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष का समर्थन किया है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में उन्हें घटना के बारे में कोई जानकारी न होना भी प्रकट किया है। वास्तव में यदि उक्त साक्षीगण ने घटना होते हुये नहीं देखी तब उनके उक्त कथन का भी कोई महत्व नहीं रह जाता। ऐसी दशा में आहत पंकज के कथित शराब पीकर गिर जाने के कारण उसे चोट आने के संबंध में भी कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते हैं।

14— बचाव पक्ष की ओर से यह भी तर्क पेश किया गया है कि आरोपी हमेशा शराब पीकर लोगो से झगडा करता है तथा उसके विरुद्ध कई मामले न्यायालय में लंबित है। इस संबंध में यह उल्लेखनीय है कि आहतगण के द्वारा अपनी अच्छी शील की साक्ष्य पेश नहीं की गई है। अतएव उक्त के अभाव में आहतगण की बुरी शील के संबंध में प्रस्तुत साक्ष्य भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा-54 के अंतर्गत उत्तर में होने के शिवाय पूर्वतन बुरा शील सुसंगत नहीं है। इस प्रकार बचाव पक्ष की ओर से लिया गया, उक्त बचाव सुसंगत न होने से प्रकरण में विचारणीय नहीं है। यह भी उल्लेखनीय है कि आहत पंकज के अलावा अन्य आहत सुशीलाबाई को भी उपहति कारित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण बचाव पक्ष की ओर से पेश नहीं किया गया है।

15— प्रकरण में स्पष्ट रूप से आहत पंकज (अ.सा.1) एवं आहत सुशीलाबाई (अ.सा.2) ने आरोपी के द्वारा मारपीट कर उक्त उपहति कारित करने का समर्थन किया है, किन्तु उक्त साक्षीगण ने अपनी साक्ष्य में आरोपी के द्वारा कथित रूप से जान से मारने की धमकी देकर उन्हें आपराधिक अभित्रास कारित करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये हैं। अन्य अभियोजन साक्षीगण ने भी कथित जान से मारने की धमकी देने के संबंध में अभियोजन का समर्थन नहीं किया है। अतएव साक्ष्य के अभाव में यह तथ्य प्रमाणित नहीं होता है कि आरोपी ने फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया है।

16— प्रकरण में अनुसंधानकर्ता अधिकारी के द्वारा की गई सम्पूर्ण जांच एवं अनुसंधान कार्यवाही से भी अभियोजन मामले को समर्थन प्राप्त होता है। इस प्रकार मात्र चक्षुदर्शी साक्षी स्वयं आहतगण पंकज (अ.सा.1) एवं सुशीलाबाई (अ.सा.2) की साक्ष्य पर अविश्वास करने का कोई कारण प्रकट नहीं होता है। उक्त आहतगण की साक्ष्य अखण्डित रही है। आहत पंकज को अस्थि भंग होने का समर्थन चिकित्सीय साक्षी ने भी

अपनी साक्ष्य में किया है, जिससे यह तथ्य प्रमाणित है कि आहत पंकज को अस्थि भंग होने से घोर उपहति कारित हुई थी।

17— प्रकरण में प्रस्तुत तथ्य व परिस्थिति से प्रकट होता है कि आरोपी के द्वारा घटना के समय आहत पंकज को लकड़ी से प्रहार करते समय उसके पास प्रयुक्त साधन से उक्त आहत को चोट पहुंचाने का आशय विद्यमान था तथा वह इस संभावना को जानता था कि उक्त साधन से निश्चित रूप से आहत को घोर उपहति कारित होगी। इस प्रकार आरोपी के द्वारा किया गया कृत्य स्वेच्छया घोर उपहति की श्रेणी में आता है। साथ ही आहत सुशीलाबाई को साधारण उपहति कारित करने की संभावना को जानते हुये उसे लकड़ी से साधारण उपहति कारित करने का कृत्य स्वेच्छया उपहति कारित करने की श्रेणी में आता है। आरोपी की ओर से आहत के प्रतिपरीक्षण में ऐसा सुझाव नहीं दिया गया है कि घटना के समय आहत पंकज ने आरोपी को गंभीर व अचानक प्रकोपन दिया गया था, जिसके परिणाम स्वरूप आरोपी के द्वारा उक्त उपहति कारित की गई। अभियोजन की ओर से भी ऐसी साक्ष्य प्रकट नहीं हुई है कि आरोपी को घटना के समय गंभीर एवं अचानक प्रकोपन प्राप्त हुआ था, जिस कारण उसके द्वारा आहत को उक्त प्रकोपन पर स्वेच्छया घोर उपहति कारित की गई। इस प्रकार आरोपी को धारा 335 या 334 भा0द0वि0 के उपबंध के अंतर्गत आपवादिक परिस्थिति का लाभ प्राप्त नहीं होता।

18— उपरोक्त संपूर्ण विवचना उपरांत यह निष्कर्ष निकलता है कि अभियोजन अपना मामला युक्ति-युक्त संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपी द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान में लोक स्थान पर या उसके समीप फरियादी पंकज को अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे व अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित कर, आहत सुशीलाबाई को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया तथा आहत पंकज को लकड़ी से मारपीट कर स्वेच्छया घोर उपहति कारित किया। अभियोजन ने यह तथ्य प्रमाणित नहीं किया है कि आरोपी के द्वारा फरियादीगण को जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतएव आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-506 भाग-दो के अपराध के अंतर्गत दोषमुक्त कर भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 325, अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराया जाता है।

19— आरोपी को मामले की परिस्थिति को देखते हुए अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ प्रदान किया जाना उचित प्रतीत नहीं होता है। आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुने जाने हेतु निर्णय स्थगित किया जाता है।

(सिराज अली)

न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

पश्चात्—

20— आरोपी को दण्ड के प्रश्न पर सुना गया। आरोपी की ओर से निवेदन किया गया है कि यह उसका प्रथम अपराध है तथा उसके विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। उसके द्वारा प्रकरण में वर्ष 2011 से विचारण का सामना किया जा रहा है तथा नियमित रूप से उपस्थित होते रहा है। अतएव उसे केवल अर्थदण्ड से दण्डित कर छोड़ा जावे।

21— मामले की परिस्थिति व अपराध की प्रकृति को देखते हुए आरोपी को केवल अर्थदण्ड से दण्डित किये जाने पर न्याय के उद्देश्य की प्राप्ति संभव नहीं है। अतएव मामले की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुये आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 325 के अपराध के अंतर्गत निम्नानुसार दण्डित किया जाता है:-

आरोपी	धारा	कारावास की सजा	अर्थदण्ड	अर्थदण्ड के व्यतिक्रम की दशा में कारावास
दिवेश	धारा-294 भा.द.वि.	3 माह का कठोर कारावास	—	—
	धारा-323 भा.द.वि.	6 माह का कठोर कारावास	—	—
	धारा-325 भा.द.वि.	1 वर्ष 6 माह का कठोर कारावास	500/-	1 माह का कठोर कारावास

22— आरोपी को सभी कारावास की सजा एक साथ भुगतायी जावे।

23— आरोपी के जमानत व मुचलके भार मुक्त किये जाते हैं।

24— प्रकरण के विचारण के दौरान आरोपी न्यायिक अभिरक्षा में नहीं रहा है, जिसके संबंध में धारा-428 द.प्र.सं. के अन्तर्गत प्रथक से प्रमाण-पत्र तैयार किया जावे।

25— प्रकरण में जप्तशुदा लकड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् विधिवत् नष्ट किया जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित व दिनांकित कर घोषित किया गया।

मेरे निर्देशन पर मुद्रलिखित।

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट

(सिराज अली)
न्या.मजि.प्र.श्रेणी, बैहर,
जिला—बालाघाट